न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–115/2023

भुलन प्रसाद यादव...वादी

बनाम

धुप यादव..प्रतिवादी

DATE	ORDER	REMARKS
24.03.2025	वादी की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज निषेधाज्ञा आवेदन पर सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि प्रतिवादी जानबूझकर इस आवेदन की सुनवाई नहीं कर रहे है। वादी का आगे यह भी कहना है कि विवादग्रस्त भूमि को लेकर वादी द्वारा प्रतिवादी पर लौरिया थाना में केस भी दर्ज किया गया है तथा कोई भी घटना हो सकती है और प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि में से कुछ अंश बेच चुके है। बाकि अंश के लिए भी ग्राहक तलाश कर रहे है। अतः इस आवेदन पर इस संबंध में न्यायोचित आदेश पारित किया जाए। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी ने यह वाद, वादपत्र मद सं0–02 की भूमि पर अपने स्वत्व अधिकार एवं दखल की घोषणा के लिए दाखिल किया है। साथ ही साथ उक्त एराजी पर उसके शांतिपूर्ण दखल–कब्जा में हस्तक्षेप करने से मुदाहलम को रोकने के लिए लाया गया है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि वादी द्वारा पूर्व में भी एक आवेदन दिनांक 07.11.2023 अंदर आदेश 39 नियम 1 और 2 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अर्न्तगत दाखिल किया गया था। जिसमें उभय पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय द्वारा यह कहते हुए खारिज कर	

लगातार 24.03.2025	दिया गया था कि प्रतिवादी द्वारा विवादित भूमि बेचने के संबध में कोई प्रमाण वादी द्वारा दाखिल नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि को बेचना चाहता है। वादी के द्वारा इस आवेदन के साथ एक निबंधित बयनामा की सच्ची प्रतिलिपी दाखिल कर न्यायालय से यह निवेदन किया गया है कि यह निबंधित बयनामा वादग्रस्त भूमि से संबंधित है जिसे प्रतिवादी द्वारा दिनांक 23.07.2024 को दस्तावेज संख्या 5708 के माध्यम से मो0 आफताब को बिक्री किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि को बेचने पर अमादा है और वादी का यह भी कहना है कि प्रतिवादी एराजी सह तकरारी भूमि को पुनः बिक्री के लिए अन्य लोगों से बात कर रहे है। वादी आगे यह भी कहते है कि एराजी सह तकरारी भूमि को लेकर मुदालय कई बार मारपीट, झगड़ा–झंझट कर चुके है जिसको लेकर मुदालय पर लौरिया थाना काण्ड सं0–198/2023 तथा 92/2024 दर्ज किया गया है। इस वाद में वादी द्वारा अपने आवेदन की सुनवाई कर दी गई है। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 07.03.2025 को इसका प्रतिउत्तर दाखिल किया गया, परन्तु प्रतिवादी की तरफ से सुनवाई हेतु समय की मांग की जा रही है। पर्याप्त समय देने के बाद भी प्रतिवादी की तरफ से उक्त आवेदन पर सुनवाई पूरी	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–115/2023

भुलन प्रसाद यादव..वादी

बनाम

धुप यादव...प्रतिवादी

लगातार 24.03.2025	नहीं की गई। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी द्वारा दिनांक 23.07.2024 को वादग्रस्त भूमि में से मवाजी 4 धुर मो0 अफताब को बिक्री किया जा चुका है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचना के आधार पर वादी का आवेदन केवल आवेदन के अंतिम सुनवाई तक के लिए स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवधि के लिए उभय पक्षों को Status Quo बनाए रखने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति संबंधित निबंधन कार्यालय को भेजे। आगामी दिनांक 08.04.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	